Principal Secretary, Law

उत्तरांचल शासन

Law Section-2

Dehradun : Dated : 31 January, 2012

Dear,

Please refer to your D.O. letter No.J-11011/43/2011-JR, dated 09-01-2012 regarding formulation of the State Litigation Policy by the State of Uttarakhand. In the matter, I would like to inform you that the State of Uttarakhand has already formed its Litigation Policy known as 'Uttarakhand Litigation Policy, 2011' and the same came into existence wef 18 July, 2011. In the matter, I would also like to inform you that the copy of the Policy has already been once made available to the Government of India before vide my D.O. letter dated 22-09-2011 (Photo copy enclosed). However, the copy of the Policy is once again forwarded herewith for the further necessary action in the matter, please.

Enclosure: As Above.

Yours sincerely,

(D.P. Gairola)
Principal Secretary.

D.K. Sikri,
Secretary (Justice),
Government of India,
Ministry of Law & Justice,
New Delhi-110011

उत्तराखण्ड वादकारिता नीति, 2011

Uttarakhand Litigation Policy, 2011

उत्तराखण्ड वादकारिता नीति, 2011

प्रस्तावना

एक आर्दश राज्य के लिए यह आवश्यक है कि राज्य में मुकदमेंबाजी अर्थात न्यायालय प्रकरणों की संख्या कम से कम हो। विधि की सुस्थापित सूक्ति *'interest republicae ut sit finis litium'* का भी यही अर्थ है कि राज्य का हित मुकदमेंबाजी के अन्त में है।

एक आर्दश राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायालय प्रकरणों की संख्या को कम करने के लिए सार्थक कदम उठाये। इसके लिए एक नीति का होना आवश्यक है। हाल में ही केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय वादकारिता नीति (National Litigation Policy) प्रख्यापित की है। यह नीति केन्द्र सरकार को एक आदर्श, कार्यकुशल व उत्तरदायी वादकारी बनाये जाने तथा उन न्यायालय प्रकरणों की संख्या को कम करने, जिनमें एक पक्ष केन्द्र सरकार है, के उद्देश्य से प्रख्यापित की गई है। राष्ट्रीय वादकारिता नीति (National Litigation Policy) प्रख्यापित करते हुए केन्द्र सरकार ने समस्त राज्यों से यह अपेक्षा की है कि राज्य सरकारें भी केन्द्र सरकार की भांति यथाशीघ्र अपनी पृथक वादकारिता नीति प्रख्यापित करें।

भारत में न्यायालय प्रकरणों की कुल संख्या तीन करोड़ से अधिक है। इन प्रकरणों में अधिकांश वे प्रकरण है जिनमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें, सार्वजनिक उपक्रम व सरकारों के संस्थान पक्षकार है। उत्तराखण्ड राज्य में न्यायालय प्रकरणों की संख्या लगभग दो लाख है। उत्तराखण्ड राज्य को एक आर्दश राज्य बनाये जाने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य में लम्बित न्यायालय प्रकरणों की संख्या को कम करने के लिए सार्थक कदम उठाय जाए। केन्द्र सरकार की भाँति उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अपनी पृथक वादकारिता नीति बनाया जाना इस दिशा में एक सार्थक पहल है।

उत्तराखण्ड राज्य में न्यायालय प्रकरणों की संख्या को कम करने, राज्य को एक आर्दश, कार्यकुशल व उत्तरदायी वादकारी बनाये जाने तथा राज्य के नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य की पृथक वादकारिता नीति बनाये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांकः 18 जुलाई, 2011

(दिनेश प्रसाद गैरोला)
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

उत्तराखण्ड शासन
न्याय विभाग
संख्याः– 328/XXXVI(2)/ 2011–95/2010
देहरादूनः दिनाँकः 18 जुलाई, 2011

कार्यकारी–आदेश

राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य को एक आर्दश, कार्यकुशल व उत्तरदायी वादकारी बनाये जाने, राज्य के न्यायालय प्रकरणों की संख्या को कम करने तथा नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से निम्नवत् नीति बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड वादकारिता नीति, 2011

अध्याय–एक

प्रारम्भिकी

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वादकारिता नीति, 2011 है।
(2) यह नीति समस्त उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त होगी।
(3) यह नीति तुरन्त प्रवृत्त होगी।

उद्देश्य

2. (1) उत्तराखण्ड राज्य में न्यायालय प्रकरणों की कुल संख्या लगभग दो लाख है। राज्य में लम्बित कुल न्यायालय प्रकरणों में अधिकांश वे प्रकरण है, जिनमें एक पक्ष उत्तराखण्ड राज्य है। इन प्रकरणों में राज्य की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ताओं तथा राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की जाती है। न्यायालय प्रकरणों में पैरवी करने पर राज्य सरकार का धन और अधिकारियों व कर्मचारियों का बहुमूल्य समय, दोनों का व्यय होता है। राज्य के विरूद्ध योजित न्यायालय प्रकरण में प्रतिवाद करने के लिए राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग व उनके अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपना मूल कार्य छोड़ न्यायिक प्रकरण पर केन्द्रित होना पड़ता है। विभाग व उसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों का अपने मूल कार्य से विरत होकर मुकदमेंबाजी में अपना अधिक समय देना राज्य हित में नही है।

(2) उत्तराखण्ड वादकारिता नीति (Uttarakhand Litigation Policy) प्रख्यापित किये जाने के मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य को एक आर्दश, कार्यकुशल व उत्तरदायी वादकारी

बनाने तथा उत्तराखण्ड राज्य में न्यायालय प्रकरणों की संख्या को कम करना करना है। इस नीति का एक उद्देश्य यह भी है कि न्यायिक मामलों में पैरवी करते समय राज्य सरकार को नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए।

(3) उत्तराखण्ड राज्य को कार्यकुशल वादकारी बनाये जाने का आशय–

(क) मामले के मुख्य वाद बिन्दूओं पर केन्द्रीत रहने और उनका समाधान करने,

(ख) न्यायिक प्रकरण में समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय–सीमा के भीतर पैरवी करने,

(ग) यह सुनिश्चित करना कि मजबूत मामले में सफलता प्राप्त हो और कमजोर मामले में अनायास पैरवी न की जाय, और

(घ) यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक प्रकरण में योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा पैरवी की जाय, से है।

(4) उत्तराखण्ड राज्य को उत्तरदायी वादकारी बनाये जाने का आशय–

(क) विवाद को सुलझाने के लिए मुकदमेंबाजी को अन्तिम विकल्प के रूप में देखने,

(ख) त्रुटिपूर्ण और तकनीकी बिन्दूओं को प्रोत्साहित न करने,

(ग) सही और प्रासंगिक तथ्यों और दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने, और

(घ) न्यायालय से कुछ न छुपाया जाय, न्यायालय को गुमराह न किया जाय, से है।

(5) राज्य सरकार को अनावश्यक रूप से वादकारी नही होना चाहिए। सेवा सम्बन्धी मामलों में प्रशासकीय प्राधिकारियों द्वारा छोटे–छोटे मामलों के सम्बन्ध में कर्मचारी के पक्ष में अनुकम्पा पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। इस प्रचलन कि "न्यायालय को निर्णय करने दो" को हतोत्साहित किया जाय। जहां किसी व्यक्ति का दावा विधिसंगत और पोषणीय हो, उसे सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वंय स्वीकार कर लेना चाहिए। यह प्रतीक्षा नही करनी चाहिए कि जब ऐसे व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय निर्णय पारित करे, उसी दशा में ही निर्णय के अनुपालन में दावा स्वीकार किया जाय।

परिभाषाएं

3. जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो :–

(क) "नोडल अधिकारी" से प्रस्तर 4 के अन्तर्गत तैनात नोडल अधिकारी है;

(ख) "न्याय विभाग" से उत्तराखण्ड शासन का न्याय विभाग अभिप्रेत है;

(ग) "महाधिवक्ता" से महाधिवक्ता उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(घ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ड.) "राज्य समीक्षा समिति", "विभागीय समीक्षा समिति" व "जिला समीक्षा समिति" से प्रस्तर 5 में गठित समिति अभिप्रेत है;

(च) "विभागाध्यक्ष" से सरकार के किसी विभाग का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ज) "संवीक्षा समिति" से प्रस्तर 6 में गठित समिति अभिप्रेत है;

(झ) "शासकीय अधिवक्ता" से राज्य सरकार द्वारा आबद्ध अधिवक्ता अभिप्रेत हैं किन्तु इसमें महाधिवक्ता सम्मिलित नही है;

अध्याय–दो

भागीदारी, उत्तरदायित्व व नोडल अधिकारी की तैनाती

भागीदारी व उत्तरदायित्व

4. (1) इस नीति को कियान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि —

(क) सभी सम्बन्धित संस्थायें और वर्ग अपने–अपने कार्य व दायित्व का उचित निर्वहन करेंगे;

(ख) इसका कड़ाई से पालन किया जायेगा;

(ग) समस्त विभाग तत्काल नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे;

(घ) नोडल अधिकारी अपने विभाग से सम्बन्धित न्यायालय प्रकरणों में राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करेंगे;

(ङ) नोडल अधिकारी की नियुक्ति विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त की जायेगी;

(च) यथासम्भव नोडल अधिकारी, विधि का ज्ञान अथवा न्यायिक प्रकरणों में पैरवी करने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा। नोडल अधिकारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा,

(छ) विभाग जिनसे सम्बन्धित न्यायालय प्रकरणों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हो, नोडल अधिकारी को न्यायिक प्रकरणों में पैरवी व इत्यादि के अतिरिक्त अन्य शासकीय दायित्व न सौंपे जाय।

(ज) ऐसे विभागों में न्यायालय प्रकरणों की अधिकता के दृष्टिगत प्रभावी पैरवी हेतु विधि प्रकोष्ठ (Legal Cell) स्थापित करते हुए उसमें पर्याप्त कार्मिक तैनात किये जाए। विभाग कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति अथवा बाह्यस्त्रोत (Outsourcing) के आधार पर नियमानुसार तैनात कर सकते है।

(2) नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह शासकीय अधिवक्ता को वाद से सम्बन्धित पूर्ण एवं सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध करायेगा ताकि न्यायिक प्रकरण में राज्य की ओर से

उचित पैरवी हो सके।

(3) शासकीय अधिवक्ता द्वारा राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी की जायेगी। अधिवक्ता का यह दायित्व होगा कि उसके द्वारा राज्य की ओर से दाखिल किया जाने वाला जवाब, प्रतिशपथ–पत्र इत्यादि विभाग द्वारा उपलब्ध आख्या अनुसार तैयार किया जायेगा। जहां आख्या में आंशिक कमी हो, उसे शासकीय अधिवक्ता द्वारा विभाग के नोडल अधिकारी से सम्पर्क कर स्वंय ठीक किया जायेगा। यदि विभाग द्वारा शासकीय अधिवक्ता को आख्या और समस्त आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने के पश्चात भी उसके द्वारा अपील, जवाब, प्रतिशपथपत्र इत्यादि तैयार नही किया जाता है, पैरवी नही की जाती है अथवा सहयोग नही दिया जाता है उस दशा में नोडल अधिकारी ऐसे शासकीय अधिवक्ता की सूचना विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग और न्याय विभाग को देगा। न्याय विभाग द्वारा ऐसे अधिवक्ता के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर जाँच कर दोषी पाये जाने पर अधिवक्ता की आबद्धता समाप्त किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। किन्तु यह कि राज्य सरकार किसी भी शासकीय अधिवक्ता की आबद्धता किसी भी समय बिना कोई कारण बताये समाप्त कर सकेगी।

अध्याय–तीन

समीक्षा (Reviewing) समिति व संवीक्षा (Screening) समिति

राज्य समीक्षा समिति, विभागीय समीक्षा समिति व जिला समीक्षा समिति का गठन

5. (1) इस नीति के अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक राज्य समीक्षा समिति का गठन किया जायेगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। समिति की बैठक में महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड द्वारा विशेष आमत्रिंत के रूप में प्रतिभाग किया जायेगा। महाधिवक्ता की अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित शासकीय अधिवक्ता द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया जा सकेगा।

(क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(ड.) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(च) अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य

(छ) संयुक्त सचिव, न्याय एवं संयुक्त विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन सदस्य–सचिव

(2) समीक्षा समिति राज्य सरकार के न्यायालय प्रकरणों के सम्बन्ध में शिकायतें और सुझाव प्राप्त करेगी। समिति की संस्तुति पर सम्बन्धित विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी।

(3) नोडल अधिकारी और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय समीक्षा समिति को निर्धारित सूचना समय–समय पर उपलब्ध करायी जाय।

(4) समिति इस नीति में संसोधन किये जाने हेतु सिफारिश कर सकेगी।

(5) समिति द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा किये जाने वाले कार्य की प्रत्येक तिमाह में समीक्षा की जा सकेगी।

(6) अपने विभाग से सम्बन्धित न्यायिक मामलों के अनुश्रवण, लम्बित मामलों की संख्या को कम करने व राज्य की ओर से समुचित पैरवी सुनिश्चित किये जाने के लिए शासन के प्रत्येक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा समिति गठित की जायेगी। समिति के सदस्य व उनकी संख्या, जो सम्बन्धित विभाग आवश्यक और समीचीन समझे, होंगे।

(7) विभागीय समीक्षा समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विभाग से सम्बन्धित मुकदमें में पैरवी कर रहे अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों का सही–सही निर्वहन करें।

(8) समिति द्वारा विभाग से सम्बन्धित राज्य के विरूद्ध पारित न्यायालय निर्णयों की समीक्षा की जाय। यदि किसी मामले में राज्य सरकार का पक्ष मजबूत होते हुए भी निर्णय राज्य के विपरीत पारित हुआ हो, सम्बन्धित कार्मिक पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए यथोचित कार्यवाही की जाय। यदि निर्णय शासकीय अधिवक्ता के द्वारा उचित पैरवी न करने के कारण हुआ हो, वस्तुस्थिति से न्याय विभाग को सूचित किया जाय। ऐसे मामलें में न्याय विभाग द्वारा जाँच की जाय और दोषी पाय जाने पर सम्बन्धित अधिवक्ता की आबद्धता समाप्त किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

(9) जिले स्तर पर न्यायिक मामलों के अनुश्रवण, लम्बित मामलों की संख्या को कम करने व राज्य की ओर से समुचित पैरवी सुनिश्चित किये जाने के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला समीक्षा समिति गठित की जायेगी। समिति के जिले का वरिष्ठतम अपर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल, फौजदारी व राजस्व) सदस्य होंगे। जिलाधिकारी द्वारा

(166) 455 4081

किसी अन्य अधिकारी, जिसे वह आवश्यक व समीचीन समझे, समिति का सदस्य बनाया जा सकेगा। वरिष्ठतम अपर जिलाधिकारी समिति का सदस्य–सचिव होगा।

(10) राज्य समीक्षा समिति, विभागीय समीक्षा समिति व जिला समीक्षा समिति की प्रत्येक तिमाह में बैठक की जायेगी। समितियों द्वारा राज्य से सम्बन्धित न्यायिक मामलों की संख्या को कम करने, राज्य की ओर से समुचित पैरवी सुनिश्चित किये जाने के लिए यथोचित उपाय किये जायेंगे। विभागीय समीक्षा समिति व जिला समीक्षा समिति अपनी तिमाही रिपोंट राज्य समीक्षा समिति को उपलब्ध करायेंगे।

संवीक्षा समिति का गठन

6. (1) मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय तथा अधिकरणों के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु योग्यतम शासकीय अधिवक्ताओं के चयन हेतु संवीक्षा के लिए निम्नवत् संवीक्षा समिति का गठन किया जायेगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,	अध्यक्ष
(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन,	सदस्य
(ग) प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन,	सदस्य
(घ) अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन,	सदस्य
(ड.) संयुक्त सचिव, न्याय एवं संयुक्त विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन,	सदस्य–सचिव

(2) समिति निर्धारित अर्हता, अनुभव, पैरवी किये गये मामलों की संख्या, विधि का ज्ञान, विशेषज्ञता, पिछले तीन वर्षों में विधि व्यवसाय की आय पर अदा किये गये आयकर की राशि तथा उस दौरान किये गये कार्य का न्यायालय द्वारा यथाविधि सत्यापित ब्यौरा इत्यादि बिन्दुओं पर विचार करते हुए शासकीय अधिवक्ता को आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करेगी।

(3) शासकीय अधिवक्ता आबद्ध किये जाते समय विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर 5.02 और 7.05 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अध्याय–चार

शासकीय अधिवक्ताओं को अनुमन्य फीस व सुविधाएं

शासकीय अधिवक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाएं तथा फीस का अनुश्रवण

7. (1) राज्य की ओर से पैरवी हेतु आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को यथासम्भव दी जाने वाली सुविधाएं निम्नवत् होंगी :—

(क) समस्त मूलभूत सुविधाएं यथा आधुनिक उपकरण जैसे कम्प्यूटर, इण्टरनेट सुविधा; तथा

(ख) कॉमन रिसर्च सुविधा;

(2) समीक्षा समिति समय–समय पर यह सुनिश्चित करेगी कि सम्बन्धित शासकीय अधिवक्ता को अनुमन्य फीस का पुनरीक्षण किया जाय और उनके फीस बीजकों का निर्धारित समयावधि के भीतर भुगतान हो जाय।

अध्याय–पाँच

सरकार की ओर से पैरवी के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध

शासकीय अधिवक्ताओं तथा विभागों के मध्य सामंजस्य स्थापित किए जाने हेतु न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति तथा उसके दायित्व

8. (1) राज्य सरकार, शासकीय अधिवक्ताओं तथा विभागों के मध्य सामंजस्य स्थापित किए जाने हेतु मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की सहमति से नई दिल्ली में अपर सचिव, न्याय, का एक पद सृजित करेगी।

(2) अपर सचिव, न्याय का यह दायित्व होगा कि वह मा0 उच्चतम न्यायालय, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण व नई दिल्ली में स्थित अन्य अधिकरणों में विचाराधीन न्यायिक प्रकरण, जिनमें राज्य सरकार पक्षकार है, का अनुश्रवण करे। मा0 उच्चतम न्यायालय में पैरवी हेतु आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं के कार्य की प्रारम्भिक समीक्षा भी अपर सचिव, न्याय द्वारा की जायेगी। इसके अतिरिक्त, अपर सचिव, न्याय उन सभी दायित्वों का निर्वहन करेगा, जो उसे समय–समय पर सौंपे जाय।

शासन में शासकीय अधिवक्ता की तैनाती

9. (1) मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में पैरवी हेतु आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओ में से न्यूनतम दो कुशल शासकीय अधिवक्ता, जिन्हें रिट, अपील, जवाब व प्रतिशपथपत्र इत्यादि तैयार करने का विशेष अनुभव प्राप्त हो, को स्थायी तौर पर शासन में तैनात किया जायेगा।

(2) शासन में तैनात शासकीय अधिवक्ता को फीस इत्यादि शासन के सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा शासित होंगे।

(3) शासन में तैनात शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से याचिका, अपील, प्रतिशपथपत्र, जवाब इत्यादि तैयार करेंगे। इस सम्बन्ध में वह सम्बन्धित विभाग के किसी भी अधिकारी से आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर सकेगें।

अध्याय–छः

स्थगन, जवाब इत्यादि

स्थगन

10. (1) शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा अनावश्यक और बार–बार स्थगन नही लिया जायेगा। यदि अपीलीय न्यायालयों के समक्ष सुनवाई की प्रथम तिथि को समस्त आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हो, स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न किया जाय। प्रयास यह किया जायेगा कि मामला सुनवाई की प्रथम तिथि को ही निस्तारित हो जाय। स्थगन उसी दशा में लिया जाय, जहां न्यायालय की कोई पृच्छा हो और उसका उत्तर देने के लिए सम्बन्धित विभाग से निर्देश की आवश्यकता हो।

(2) नए मामलों में जहां सरकार प्रतिवादी अथवा प्रत्यर्थी हो, शासकीय अधिवक्ता सम्बन्धित विभाग से निर्देश प्राप्त करने के लिए स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसी दशा में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सुनवाई की अगली तिथि से पूर्व आवश्यक निर्देश व आख्या शासकीय अधिवक्ता को उपलब्ध करा दिये जाय। यदि विभाग द्वारा सम्बन्धित शासकीय अधिवक्ता को निर्देश व आख्या उपलब्ध नहीं कराये जाते है, उक्त दशा में शासकीय अधिवक्ता द्वारा नोडल अधिकारी और यदि आवश्यक हो, विभागाध्यक्ष से सम्पर्क किया जायेगा।

(3) नोडल अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह न्यायालय प्रकरण में सहयोग प्रदान करे और उसे व्यवहृत करे। प्रकरण की प्रगति विशेषकर उन प्रकरणों में जहां बार–बार स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हो, को देखना नोडल अधिकारी का दायित्व होगा। जहां बार–बार स्थगन लिए जा रहे हो वहां वह विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा। यदि राज्य सरकार के अधिकारी अथवा कर्मचारी के कारण स्थगन लिए जा रहे हो तो दोषी के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी। यदि स्थगन शासकीय अधिवक्ता के कारण लिए जा रहे हो तो ऐसे अधिवक्ता की आबद्धता समाप्त किये जाने हेतु न्याय विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(4) ऐसे मामलों को गम्भीरता से लिया जायेगा, जहां न्यायालय द्वारा राज्य सरकार पर व्यय (Cost) अधिरोपित किया जाता है। व्यय की अदायगी के उपरान्त नोडल अधिकारी व्यय अधिरोपित किये जाने के कारणों से समीक्षा समिति व शासन को अवगत करायेगा। सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को चिन्हित कर उसके विरूद्ध उचित कार्यवाही करेगा, जिसके कारणें राज्य सरकार पर व्यय अधिरोपित किया गया हो।

(5) उत्तराखण्ड राज्य में कुल लम्बित न्यायिक मामलों में फौजदारी मामलें अधिक है व अधिकांश फौजदारी मामलें अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन है। फौजदारी मामलों का

458 459

दीर्घ अवधि तक लम्बित रहते हुए निरतारित न होने का एक मुख्य कारण अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु बार–बार स्थगन लेना है। इस सम्बन्ध में जिला समीक्षा समिति द्वारा दीर्घ अवधि से लम्बित फौजदारी मामलों में उन मामलों को चिन्हित किया जाय जिनमें अभियोजन द्वारा बार–बार स्थगन लिये जा रहे हो। ऐसे मामलों को गम्भीरता से लेते हुए नियत तिथि पर अभियोजन साक्षी प्रस्तुत करते हुए अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अभिकथन/जवाब आदि

11. (1) राज्य सरकार की ओर से दाखिल किये जाने वाले वादपत्र, जवाबदावा, शपथपत्र, प्रतिशपथपत्र, प्रार्थनापत्र इत्यादि स्पष्ट रूप से तैयार किये जायेंगे और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनमें किसी भी बिन्दु अथवा तथ्य की पुनरावृत्ति न हो।

(2) वादपत्र, रिट याचिका, अपील इत्यादि इस प्रकार तैयार किये जाय कि उसमें प्रकरण से सम्बन्धित सभी तथ्यों और तिथियों का स्पष्ट उल्लेख हो और यह ज्ञात हो सके कि प्रकरण के मुख्य वाद–बिन्दु कौन से है।

(3) वादपत्र, रिट याचिका, अपील इत्यादि योजित किये जाते समय यह सावधानी रखी जायेगी कि उनमें सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिए गये हैं। यदि किसी दस्तावेज को संलग्न न करने के कारण स्थगन के आदेश प्राप्त होते हैं अथवा न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जायेगा। नोडल अधिकारी ऐसी स्थिति में विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा और दोषी के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से दाखिल किये जाने वाले वादपत्र सटीक व प्रभावी हो इस सम्बन्ध में विशेष अपील, विशेष इजाज़त याचिका, प्रतिशपथपत्र इत्यादि के मानक प्रारूप तैयार करायें जाय और समस्त आबद्ध अधिवक्ताओं के मार्ग दर्शन हेतु उन्हें उनके मध्य परिचालित किया जायेगा। मानक प्रारूपों में न केवल विषय वस्तु होगी बल्कि फोरमेट, डिज़ाईन, फौन्ट, कागज की गुणवत्ता, छपाई, बाईडिंग इत्यादि का भी उल्लेख होगा। मानक प्रारूप महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा तैयार किये जायेंगे।

अध्याय–सात

राज्य अपील

राज्य अपील

12. (1) सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रत्येक मामले में अपील इत्यादि योजित किये जाने के कारणों का उल्लेख किया जायेगा। अपील का प्रस्ताव न्याय विभाग को संदर्भित करते समय यदि

विभाग द्वारा अपील योजित किये जाने हेतु आवश्यक आधार का उल्लेख नहीं किया जाता है तो उस दशा में अपील योजित किये जाने की अनुमति न दी जाय। अपील के प्रस्ताव के साथ केस समरी व शासकीय अधिवक्ता की राय भी प्रस्तुत की जाय। विभाग द्वारा उस अधिवक्ता की राय ली जायेगी, जिसने उस मामलें में राज्य सरकार की ओर से पैरवी की हो, जिसमें पारित निर्णय के विरूद्ध अपील की जानी प्रस्तावित है। चूंकि अपील निर्धारित समय–सीमा के भीतर योजित की जानी होती है, अतः अधिवक्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसकी राय एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित विभाग को प्राप्त हो जाय। यदि अपील के प्रस्ताव पर अधिवक्ता द्वारा राय नहीं दी जाती है अथवा राय देने में विलम्ब किया जाता है, उस दशा में ऐसे शासकीय अधिवक्ता की आबद्धता समाप्त किये जाने पर विचार किया जाय। आबद्धता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में न्याय विभाग द्वारा कार्यवाही की जाय।

(2) सामान्यतः एकपक्षीय अन्तरिम आदेश के विरूद्ध राज्य अपील योजित नहीं की जायेगी। ऐसे मामलों में आदेश को अपास्त किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी। यदि न्यायालय द्वारा आदेश को अपास्त नहीं किया जाता है और ऐसे आदेश के जारी रहने से राज्य को क्षति होती हो, उसी दशा में ही राज्य अपील योजित की जा सकेगी।

(3) राज्य अपील केवल प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष ही योजित की जाएगी। केवल असाधारण मामलों में मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष सीधे ही विशेष इजाजत याचिका योजित की जाय।

(4) विभिन्न अधिकरणों को इस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है कि न्यायालयों से कार्य का बोझ कम किया जाय और तकनीकी मामलों में निर्णय अधिकरण द्वारा पारित किया जाय। अतः सामान्य दशाओं में अधिकरणों द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध मा0 न्यायालय के समक्ष अपील अथवा रिट याचिका इत्यादि योजित न की जाय।

अध्याय–आठ

राज्य अपील योजित किये जाने के सिद्धान्त

सेवा सम्बन्धी मामलों में अपील

13. सेवा सम्बन्धी मामलों में सामान्यतः अपील, रिट याचिका निम्नलिखित दशाओं में योजित न की जाय–

(क) जहां मामला व्यक्ति विशेष का हो और न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिणामी प्रभाव न हो;

(ख) जहां मामला पैंशन अथवा सेवानिवृत्त लाभ से सम्बन्धित हो और निर्णय किसी विधिक सिद्धान्त की उपेक्षा कर पारित न किया गया हो अथवा निर्णय के परिणामी वित्तीय प्रभाव न हो; और

(ग) सेवा सम्बन्धित मामलों में लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के विरूद्ध अपील अथवा रिट याचिका केवल इस आधार पर योजित न की जाय कि मामला एक से अधिक कार्मिकों से सम्बन्धित है। यदि प्रश्नगत निर्णय एक बड़े वर्ग को प्रभावित करता हो तो उस दशा में राज्य अपील योजित किये जाने पर विचार किया जायेगा :

परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों में विधि परामर्शी किसी मामले में अपील, रिट याचिका योजित किए जाने के लिए अनुमति दे सकेगा।

अधिकरण द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील

14. लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के विरूद्ध निम्नलिखित दशाओं में अपील अथवा रिट याचिका योजित की जाय–

(क) यदि राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णय पारित करते समय सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन में स्पष्ट त्रुटि हुई हो;

(ख) यदि अधिकरण का निर्णय सेवा विधि, मा0 उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के विरूद्ध हो;

(ग) यदि प्रश्नगत निर्णय प्रशासनीक कार्य प्रणाली पर विपरीत प्रभाव डालती हो; और

(घ) यदि प्रश्नगत निर्णय के परिणामी प्रभाव हो अथवा निर्णय में एक बड़ा वित्तीय दावा निहित हो।

राजस्व मामलों में अपील

15. राजस्व मामलों में सामान्यतः निम्नलिखित दशाओं में अपील योजित न की जाय–

(क) यदि मामले की विषय वस्तु अधिक न हो;

(ख) यदि मामला सम्बन्धित अधिकरण अथवा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस निर्णय पर आधारित हो, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय में चुनौती न दी गई हो; और

(ग) यदि मामला किसी एक व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित हो और प्रश्नगत निर्णय के राज्य पर परिणामी प्रभाव न हो।

मा0 उच्चतम न्यायालय में अपील

16. मा0 उच्चतम न्यायालय में सामान्यतः निम्नलिखित दशाओं में ही अपील अथवा विशेष इजाज़त याचिका योजित की जाय :–

(क) यदि मामला विधि के निर्वचन का हो;

(ख) यदि मामला केवल तथ्यों पर आधारित हो और प्रश्नगत निर्णय इस प्रकार का हो

कि तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित करने में त्रुटि की गई हो;

(ग) यदि राज्य का वित्तीय हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता हो;

(घ) यदि प्रश्नगत निर्णय से न्याय प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;

(ड.) यदि मामले के वाद बिन्दु 'भारत का संविधान' के निर्वचन से उत्पन्न हुए हो;

(च) यदि उच्च न्यायालय ने अपने अधिकारिता क्षेत्र से परे निर्णय पारित किया हो;

(छ) यदि उच्च न्यायालय ने किसी समविधिक प्राविधान को अपास्त किया हो; और

(ज) यदि उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया निर्वचन विधि पर आधारित न हो।

मियाद बाधित अपील

17. (1) विभागों द्वारा अपील के प्रस्ताव न्याय विभाग को विलम्ब से सन्दर्भित न किये जाये क्योंकि विलम्ब के मामलों में अपील योजित किये जाते समय सर्वप्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष विलम्ब के कारण प्रस्तुत करने होते हैं और विलम्ब के पर्याप्त कारण न होने के कारण राज्य सरकार का पक्ष मजबूत होने के उपरान्त भी राज्य अपील केवल मात्र तकनीकी कारणों से खारिज़ हो जाती है।

(2) अपील योजित किये जाते समय समस्त विभागों द्वारा अपील हेतु निर्धारित समय–सीमा का ध्यान रखा जाय। जिन मामलों में अपील योजित किया जाना प्रस्तावित हो, अपील योजित किये जाने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ कर दी जाय। यदि अपील निर्धारित समय–सीमा के भीतर योजित नहीं की जाती है और वह केवल विलम्ब के आधार पर खारिज़ हो जाती है तो ऐसे मामलों में जाँच की जाय और विलम्ब के कारणों का पता लगाया जाय। जहां राज्य अपील केवल विलम्ब के कारणों से खारिज़ हो गई हो, सम्बन्धित विभाग का नोडल अधिकारी ऐसे मामलों से विभागाध्यक्ष को अवगत करायेगा। विलम्ब के लिए दोषी कार्मिक को चिन्हित करते हुए उसके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाय।

(3) ऐसे मामले, जहां राज्य अपील योजित करने में हुए विलम्ब के पर्याप्त कारण हो, विलम्ब को क्षमा किये जाने से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाय। प्रार्थना पत्र में उन समस्त तथ्यों का उल्लेख किया जाय, जिनके कारण विलम्ब हुआ हो। यदि सम्बन्धित अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र तैयार करने में लापरवाही की जाती है तो उस दशा में अधिवक्ता की आबद्धता समाप्त किये जाने पर विचार किया जाय।

(4) जहां अपील योजित किये जाने में विलम्ब हुआ हो, सम्बन्धित विभाग अपील के प्रस्ताव के साथ विलम्ब के कारणों का भी उल्लेख करेंगे। विलम्ब के कारणों का उल्लेख न करने

की दशा में विभाग को अपील योजित किये जाने की अनुमति न दी जाय।

अध्याय–नौ

माध्यस्थम् (Arbitration)

माध्यस्थम् (Arbitration)

18. (1) पक्षकारों के मध्य विवाद को निस्तारित किये जाने के लिए माध्यस्थम् सुलभ और आसान तरीका है। माध्यस्थम् के माध्यम से विवाद को सुलझाने मे न केवल समय बल्कि धन की भी बचत होती है। विधि भी विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थम् को प्रोत्साहित करती है।

(2) राज्य सरकार केन्द्र सरकार, अन्य राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों तथा निजी संस्थाओं के साथ संविदा करती है। उक्त संविदा से उत्पन्न विवाद का सरल और सुलभ निस्तारण हेतु यह आवश्यक है कि संविदा में माध्यस्थम् के लिए प्राविधान रखा जाय। अतः राज्य सरकार के विभाग जब भी केन्द्र सरकार, अन्य राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों तथा निजी संस्थाओं के साथ संविदा करते है, उस दशा में संविदा में यथासम्भव माध्यस्थम् का प्राविधान रखा जाय।

(3) माध्यस्थम् का प्राविधान रखते समय सावधानी बरती जाय। जहां तक मध्यस्थ की संख्या का प्रश्न है आवश्यकतानुसार एक मध्यस्थ की नियुक्ति के स्थान पर तीन मध्यस्थ की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाय। तकनीकी मामलों में उसी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाय, जिसे मामले से सम्बन्धित विषय पर विशेष ज्ञान व अनुभव प्राप्त हो। मध्यस्थ की नियुक्ति के समय केवल उसके ज्ञान, अनुभव, योग्यता पर ही विचार किया जाय अन्य किसी अप्रसांगिक बिन्दु पर नहीं। मध्यस्थ की नियुक्ति के समय इस बात पर भी विशेष ध्यान रख लिया जाय कि वह मामले की सुनवाई में पर्याप्त समय दे पायेगा।

(4) माध्यस्थम् का प्राविधान रखने का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि विवाद का निस्तारण अल्प समय–सीमा के भीतर हो जाय। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए माध्यस्थम् की कार्यवाही में सरकार की ओर से स्थगन न लिया जाय। केवल आसाधारण परिस्थितियों में ही स्थगन लिया जाय।

(5) मध्यस्थ द्वारा पारित अवार्ड पक्षकारों के मध्य बाध्यकारी और अन्तिम होता है। माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के प्राविधानों के अन्तर्गत अवार्ड को केवल अधिनियम की धारा 34 में उल्लिखित आधारों पर ही चुनौती दी जा सकती है। अवार्ड को चुनौती दिये जाने के आधार विधि द्वारा ही सीमित किये गये हैं। अतः यदि कोई विभाग मध्यस्थ द्वारा

पारित अवार्ड को चुनौती देना चाहते हो तो उस दशा में सर्वप्रथम विभाग को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि उनके पास अवार्ड को चुनौती देने के लिए धारा 34 में उल्लिखित आधारों में से कोई एक आधार उपलब्ध है।

अध्याय–दस

विशेष प्रकार के वाद

जनहित याचिका

19. (1) जनहित याचिका (Public Interest Litigation)– जनहित याचिका नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए योजित की जाती है। यह एक सवैंधानिक उपचार है। प्रायः यह माना जाता है कि सरकार के विरूद्ध जनहित याचिका उस दशा में योजित होती है जब सरकार अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सफल न रही हो। किसी राज्य सरकार के विरूद्ध बड़ी संख्या में योजित जनहित याचिकाओं का यह अर्थ भी निकाला जाता है कि सरकार अपने नागरिकों के अधिकारों के प्रति सजग नही है। राज्य सरकार के विरूद्ध अधिक संख्या में विचाराधीन जनहित याचिकाओं से जनता में सरकार की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में सकारात्मक संदेश नही जाता है।

(2) जनहित याचिका योजित होने पर सम्बन्धित विभाग को सर्वप्रथम यह देख लेना चाहिए कि क्या याचिका ठोस आधारों पर आधारित है। यदि याचिकर्ता द्वारा चाहा गया अनुतोष उचित व विधि पर आधारित हो तो विभाग को याचिका में चाहे गये ऐसे अनुतोष पर स्वंय विचार कर लेना चाहिए। यदि सरकार द्वारा नागरिकों के शिकायतों को दूर कर उनके विधिसंगत मांगो को स्वंय पूरा कर उनके अधिकार को संरक्षण प्रदान किया जाता है, उक्त दशा में न्यायालय द्वारा राज्य के विरूद्ध पारित किये जाने वाले प्रतिकूल आदेश से भी बचा जा सकता है। जहां जनहित याचिका आधारहीन हो या याचिकर्ता ने उसे केवल मात्र अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु योजित किया हो, ऐसे मामलों में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी की जाय ;

सार्वजनिक उपक्रम से सम्बन्धित वाद

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सम्बन्धित वाद– राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के मध्य मुकदमेबाजी चिन्ताजनक है। इस प्रकार की मुकदमेबाज़ी में दोनो ओर से जनता के ही समय और धन की हानि होती है। ऐसे मामलों में राज्य सरकार की ओर से यह पहल होनी चाहिए की विवाद आपसी सुलह–समझौते के आधार पर निरतारित हो जाय। किसी सार्वजनिक उपक्रम के विरूद्ध वाद योजित

करने से पूर्व सम्बन्धित विभाग द्वारा उपक्रम के उच्च प्राधिकारी से वार्ता कर विवाद का हल निकालने का प्रयास किया जाय। यदि उपक्रम द्वारा राज्य के विरूद्ध मुकदमेबाज़ी की जाती है, तो उस दशा में भी इसी प्रकार का प्रयास किया जाय। राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रम के मध्य मुकदमेंबाज़ी से हर हाल में बचा जाय। यदि सरकार और सार्वजनिक उपक्रम के मध्य उत्पन्न विवाद को आपसी सुलह–समझौते से नहीं सुलझाया जा सकता हो, तो उस दशा मे भी विवाद को न्यायालय में नही ले जाना चाहिए। ऐसी दशा में प्रयास यह किया जाय कि विवाद सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 में दिये गये माध्यस्थम् (Arbitration) जैसे उपायों के माध्यम से निस्तारित हो जाय।

अध्याय–ग्यारह

कानूनी नोटिस

सरकार को प्राप्त कानूनी नोटिस का निस्तारण

20. (1) राज्य के विरूद्ध वाद, रिट याचिका इत्यादि योजित किये जाने से पूर्व यदि किसी व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित विभाग को कानूनी नोटिस दिया जाता है, तो नोटिस को शासन के सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के संज्ञान में लाया जायेगा।

(2) विभाग द्वारा नोटिस का अनिवार्य रूप से निस्तारण किया जाय। यदि व्यक्ति का दावा उचित, विधिसंगत और पोषणीय हो तो उक्त दशा में नोटिस पर विचार कर लिया जाय। इस प्रकार राज्य के विरूद्ध वाद, रिट याचिका के अनावश्यक रूप से योजित होने से बचा जा सकता है।

(3) नोटिस के निस्तारण में यदि विभाग को विधिक परामर्श की आवश्यकता हो, तो न्याय विभाग से विधिक परामर्श प्राप्त किया जाय।

अध्याय–बारह

लम्बित मामलों की समीक्षा

लम्बित मामलों की समीक्षा

21. (1) शासन का प्रत्येक विभाग प्रत्येक तिमाही में अपने अधीनस्थ विभागों से लम्बित मामलों के आंकड़े प्राप्त कर उन्हे संकलित करेगा। संकलित आँकड़ों को तद्उपरान्त न्याय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा जो राज्य स्तरीय डाटा तैयार करेगा।

(2) न्याय विभाग राज्य स्तरीय डाटा को राज्य समीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राज्य समीक्षा समिति द्वारा लम्बित मामलों की समीक्षा करने के उपरान्त उनकी संख्या

को कम करने के लिए इस नीति अनुसार यथोचित उपाय किये जायेंगे। विभागीय समीक्षा समिति व जिला समीक्षा समिति द्वारा भी सम्बन्धित लम्बित मामलों की संख्या की समीक्षा करने के उपरान्त उन्हे कम करने के लिए यथोचित उपाय किये जायेंगे।

अध्याय–तेरह

प्रकीर्ण

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

22. यदि इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश जारी कर सकेगी जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हो।

आज्ञा से,

(दिनेश प्रसाद गैरोला)
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।